

# औद्योगिक भवन मनचाही ऊंचाई तक बना सकेंगे

लखनऊ, विशेष संवाददाता। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अब पूरे प्रदेश में एक बिल्डिंग बायलॉज लागू होगा। मॉडल भवन विनियम, 2026 में औद्योगिक क्षेत्रों को कई सहूलियतें दी गई हैं। पहले सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण को अपनी भवननियमावली थी लेकिन अब सभी को समाहित कर एक कर दिया गया है। नए बायलॉज में उद्यमों कुछ शर्तों के साथ मनचाही ऊंचाई तक भवन बना सकेंगे। कुछ मामलों में ऊंचाई की सीमा तय है लेकिन ज्यादातर में कोई प्रतिबंध नहीं है। सड़कों की चौड़ाई के आधार पर तय फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) और सेटबैक का पालन करना होगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद 12 अक्टूबर को जारी बिल्डिंग



**12** अक्टूबर को जारी बिल्डिंग बायलॉज में नहीं है कोई प्रतिबंध

बायलॉज के मुताबिक औद्योगिक, फ्लैटेड फैक्टरी, एमएसएमई के भवन ऊंचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में सिंगल आवास अधिकतम 15 मीटर

**ऊंचाई औसत सड़क स्तर से ऊपर मापी जाएगी**



इमारतों की अधिकतम ऊंचाई आसपास के औसत सड़क स्तर से ऊपर मापी जाएगी। छत पर बने टैंक, उनकी सहायक संरचना दो मीटर से अधिक नहीं होगी। सौर ऊर्जा प्लेट, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनर उपकरण, 4.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले लिफ्ट कक्ष, ऐसे अन्य उपकरण, सीढ़ियों की मम्टी की ऊंचाई 3 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। चिमनी, पैरापेट दीवार और इमारत की सुंदरता बढ़ाने वाली संरचनाएं 1.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। हवाई अड्डा, एयरपोर्ट स्टेशन से सटे भवनों की ऊंचाई नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आदेशों के अनुसार होगी। भवन की अधिकतम ऊंचाई संरक्षित स्मारक, विरासत स्थल, हवाई अड्डे के फनल जोन तथा अन्य वैधानिक प्रतिबंधों से दूरी द्वारा भी निर्धारित होगी।

मल्टी यूनिट 17.5 मीटर तथा ग्रुप हाउसिंग के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल, सिंगल स्क्रीन सिनेमा, मल्टी प्लेक्स के लिए ऊंचाई में

कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन पेट्रोल पंप, एलपीजी गोदाम के लिए सीमा निर्धारित की गई है। पेट्रोल पंप और गैस गोदाम की ऊंचाई 6 मीटर से अधिक नहीं होगी।